रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2037] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2014/आश्विन 9, 1936
No. 2037] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2014/ASVINA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2580(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130) के 165.000 कि. मी. से 221.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (बिलासपुर–अम्बिकापुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 के 165.000 कि.मी. से 221.500 कि.मी. तक (बिलासपुर–अम्बिकापुर खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम. सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	सर्वे नं./ खसरा नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8
	सरगुजा	लखनपुर	लहपतरा	68	निजी	कृषि	0.0600
				68/1	निजी	कृषि	0.0240
				67/1	निजी	कृषि	0.1760
				58	निजी	कृषि	0.0320
				58/1	निजी	कृषि	0.1520
				56/1	निजी	कृषि	0.0784
				55/1	निजी	कृषि	0.0400
				55/3, 4, 5	निजी	कृषि	0.2100
				838/2	निजी	कृषि	0.4500
				836/2	निजी	कृषि	0.3040
				887	निजी	कृषि	0.0480
				888	निजी	कृषि	0.0120
				889/2	निजी	कृषि	0.0304
				890/2	निजी	कृषि	0.2660
				891/2	निजी	कृषि	0.1750
			सिंगीटना	458	निजी	कृषि	0.0480
				459	निजी	कृषि	0.1260
				457	निजी	कृषि	0.2100
				455	निजी	कृषि	0.1456
				454	निजी	कृषि	0.0048
				147	निजी	कृषि	0.1541
				148	निजी	कृषि	0.0646
				149	निजी	कृषि	0.0930
				150	निजी	कृषि	0.0810
				152	निजी	कृषि	0.0540

				153	निजी	कृषि	0.0476
				154	निजी	कृषि	0.0748
				156	निजी	कृषि	0.0270
						योग	3.1883

[फा. सं. आर डब्लू/एन एच–37014/9/2013/एनएचडीपी–IVए]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2014

S.O. 2580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being statisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 111 (New NH No. 130), including the bypass in the stretch of land from km 165.000 to km. 221.500 (Bilaspur-Ambikapur Section) in the District of Sarguja in the State of Chhattishgarh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Ambikapur, Dist. Surguja, Chhattishgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections ;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of the land from Km.165.000 to 221.500 (Bilaspur - Ambikapur section) of the National Highway No. 111 in the State of Chhattishgarh.

Sl. No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area In Hectares
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sarguja	Lakhanpur	Lahpatra	68	Private	Agriculture	0.0600
				68/1	Private	Agriculture	0.0240
				67/1	Private	Agriculture	0.1760
				58	Private	Agriculture	0.0320
				58/1	Private	Agriculture	0.1520
				56/1	Private	Agriculture	0.0784

				55/1	Private	Agriculture	0.0400
				55/3,4,5	Private	Agriculture	0.2100
				838/2	Private	Agriculture	0.4500
				836/2	Private	Agriculture	0.3040
				887	Private	Agriculture	0.0480
				888	Private	Agriculture	0.0120
				889/2	Private	Agriculture	0.0304
				890/2	Private	Agriculture	0.2660
				891/2	Private	Agriculture	0.1750
			Singitana	458	Private	Agriculture	0.0480
				459	Private	Agriculture	0.1260
				457	Private	Agriculture	0.2100
				455	Private	Agriculture	0.1456
				454	Private	Agriculture	0.0048
				147	Private	Agriculture	0.1541
				148	Private	Agriculture	0.0646
				149	Private	Agriculture	0.0930
				150	Private	Agriculture	0.0810
				152	Private	Agriculture	0.0540
				153	Private	Agriculture	0.0476
				154	Private	Agriculture	0.0748
				156	Private	Agriculture	0.0270
						Total	3.1883

[F. No. RW/NH-37014/9/2013-NHDP-IV A]

V. KRISHNASWAMY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.